बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

सं0–15/परिवाद–(भोजपुर)–12–262/2024– (15)/रा0, पटना–15, 1082 दिनांक– 20/2/26

सुश्री श्रेया मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शाहपुर, भोजपुर के विरूद्ध वायरल विडियो में किसी व्यक्ति से न सिर्फ राशि प्राप्त करने, बल्कि किसी मामले में पच्चीस हजार देने के संबंध में थोड़ा बढ़ाकर देने की बात करने जैसे गंभीर कदाचार के लिए विभागीय पत्रांक–1327(15), दिनांक–02.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग के आलोक में सुश्री मिश्रा द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–16.08.2024 विभाग में समर्पित किया गया, जो तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

2. उक्त गंभीर कदाचार के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–2011(15), दिनांक–09.09.2024 द्वारा सुश्री मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय–आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया।

3. उक्त गंभीर कदाचार एवं पद का दुरूपयोग के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2218(15) दिनांक–24.10.2024 के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। सुश्री मिश्रा का स्पष्टीकरण दिनांक–21.15.2024 विभाग को प्राप्त हुआ।

4. सुश्री मिश्रा के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री मिश्रा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने एवं अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बंदोबस्त कार्यालय में राजस्व पदाधिकारी–सह–कानूनगो के पद पर पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री मिश्रा के विरूद्ध गठित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही सुश्री मिश्रा को निलंबन मुक्त करते हुए **पदस्थापन की प्रतीक्षा में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना** का कार्यालय निर्धारित किया गया।

6. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा परिवादी श्री नन्द किशोर साह, मुखिया ग्राम पंचायत–चंचलिया, तरैया, सारण से परीक्षण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समर्पित जॉच प्रतिवेदन में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। चूॅकि संचालन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिनांक–31.01.2026 को सेवानिवृत्त हो चुके है। इसलिए परिवादी श्री नन्द किशोर साह से साक्ष्य परीक्षण किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः परिवादी श्री नन्द किशोर साह, मुखिया ग्राम पंचायत–चंचलिया, तरैया, सारण का साक्ष्य परीक्षण करते हुए जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संचालन पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

8. सुश्री मिश्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, भोजपुर एवं सारण/श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सुश्री श्रेया मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शाहपुर, भोजपुर **सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन निदेशालय, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

स्पीड–पोस्ट/ ई–मेल

ज्ञापांक–**15/परिवाद (भोजपुर) 12–262/2024**– 1082 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 20/7/26
प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, भोजपुर एवं सारण/श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सुश्री श्रेया मिश्रा, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–**15/परिवाद (भोजपुर) 12–262/2024**– 1082 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 20/7/26
प्रतिलिपिः– श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर साक्ष्य परीक्षण करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित, स्पष्टीकरण एवं
संचालन पदा0 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–**15/परिवाद (भोजपुर) 12–262/2024**– 1082 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 20/7/26
प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Shereya Mishra (Shajpur, Bhojpur).doc